

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिवाना  
क्रमांक/वाचक/2022/1223

दिनांक:- 21.07.2022

-:: आदेश ::-

प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत, रजिस्ट्री की छायाप्रति तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सिलोर पटवार मण्डल सिलोर तहसील समदडी जिला बाड़मेर वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रमांक	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सिलोर	386,678 / 434,679 / 450,680 / 455,675 / 93,453,454,421 / 1, 526 व 527	विशना पुत्र रूघाजी एवं सवा पुत्र रूगाजी जाति पुरोहित सा.देह खातेदार	विशना उर्फ सवा पुत्र रूघजी जाति पुरोहित सा.देह खातेदार



क्रमांक/वाचक/2022/1224-1226

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार समदडी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी विशना उर्फ सवा पुत्र रूघजी जाति पुरोहित निवासी सिलोर तहसील समदडी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावाली।

( कुसुमलता चौहान )

उपखण्ड अधिकारी सिवाना

दिनांक:- 21.07.2022

( कुसुमलता चौहान )

उपखण्ड अधिकारी सिवाना